

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 558 / 2015 / भीलवाडा

अपील संख्या 559 / 2015 / भीलवाडा

मैसर्स अजय स्पीनर्स,
गुलाबपुरा, भीलवाडा।

...अपीलार्थी.

बनाम्
वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-बी, भीलवाडा।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :27.09.2016

निर्णय

1. यह दोनों अपीलें अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये आदेश क्रमशः अपील संख्या 138/वैट/रेस्टो/13-14 एवं 139/सीएसटी/रेस्टो/13-14 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2015 के विरुद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त बी, भीलवाडा (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 की पुष्टि की है। जिसमें निम्नतालिका के अनुसार पुष्टि की गई राशियों को यहां विवादित किया गया है :-

अपील संख्या	वर्ष	विवादित मांग राशि		
		कर रूपये	लेट फीस	कुल राशि
558 / 15	2010-11 (वैट)	13,472 /-	20,000 /-	33,472 /-
559 / 15	2010-11 (सीएसटी)	5,477 /-	5,000 /-	10,477 /-

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य समान है अतः इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की मूल प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों में पृथक-पृथक रखी जावें।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.01.2013 द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध विवादित राशि वर्ष 2010-11 में वैट अधिनियम के तहत विलम्ब से प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणियों के लिये 20,000/- तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत 5,000/- रूपये विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित मांग राशियों की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।



लगातार.....2

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधि विरुद्ध बतलाया। प्रत्यर्थी के अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम के तहत विहित नियम 19 में किया गया संशोधन दिनांक 01.04.2011 से लागू किया गया है तथा व्यवसायी की वार्षिक बिक्री प्रपत्र वैट 10ए पेश करने की समय सीमा बढ़ाकर दिनांक 31.05.2012 की दी गई थी।

अपीलार्थी अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के नोटिस दिनांक 26.11.2010 के क्रम में इकाई बन्द कर दी गई और अन्ततः अक्टूबर, 2010 से बंद हो गई जिसके कारण कार्यरत कर्मचारी इकाई को छोड़कर चले जाने से त्रैमासिक विवरण/वार्षिक विवरण समय पर प्रस्तुत नहीं कर सके। यह विवरणियों को विलम्ब से प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त कारण है। सशक्त अधिकारी ने विलम्ब हेतु आरोपित राशि के लिये कोई विशेष सूचना पत्र नहीं दिया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी तर्क दिया कि दिनांक 25.02.2008 से 09.03.2011 की अवधि के दौरान नियम 19 के अनुसार संबंधित वर्ष से गत वर्ष की अवधि में शुद्ध वार्षिक दायित्व 20,000/- से कम होने पर ही त्रैमासिक विवरणियां प्रस्तुत करने का दायित्व बनता है। चूंकि उनका शुद्ध वार्षिक कर दायित्व 20,000 से कम था और यहां तक की गत वर्ष व्यवहारी को 9,191/- रुपये का प्रत्यापन देय था। इसके समर्थन में उन्होंने वर्ष 2009-10 का वैट 10ए प्रपत्र की प्रति प्रस्तुत की गई। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि आलौच्य अवधि में आरवेट एवं सीएसटी एक्ट के अधीन केवल एक फार्म वैट 10ए रिटर्न के तौर पर भरा जाना था। अतः रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने पर अथवा विलम्ब से प्रस्तुत करने पर कोई दायित्व नहीं बनता है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन तथ्यों को नजरअंदाज कर सशक्त अधिकारी के आदेश की अनुचित तौर पर पुष्टि की है। अतः उक्त आधारों पर जबकि इकाई रूग्ण इकाई थी एवं वीआईएफआर के प्रावधानों से शास्ति थी, तब शास्ति/विलम्ब शुल्क आरोपण एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि करना विधिक तौर पर अनुचित था। शुल्क आरोपण के अलावा अन्य बिन्दुओं पर उन्होंने बहस नहीं की। अतः उक्त आधारों पर उन्होंने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत थे। जिन पर निम्न तालिका के अनुसार विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया है वह विधिनुसार है :-

त्रैमास एवं विवरण प्रपत्र	प्रस्तुत करने की नियत तिथि	प्रस्तुत करने की तिथि	आरोपित विलम्ब शुल्क
I	30.04.12	13.05.10	5000
II	30.04.12	20.12.12	5000
III	30.04.12	20.12.12	5000
IV	30.04.12	20.12.12	5000
वार्षिक विवरण प्रपत्र	31.05.12	15.01.13	-

अतः आरोपित शास्ति उचित होने से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

Handwritten mark

7. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह निर्विवादित तथ्य है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त तालिका के अनुसार बिक्री विवरणियां प्रस्तुत कर दी गई थी। राजस्थान मूल्य परिवर्धित नियम 2005 के नियम 19 (जिसको आगे "नियम" कहा जायेगा) में दिनांक 19.03.2011 के संशोधन से पूर्व उक्त नियम निम्न प्रकार से अस्तित्व में था :-

"नियम 19(1) " The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act, shall be submitted by a dealer in Form-VAT10 for each quarter within thirty days of the end of the quarter, other than the following class of dealer:

- (i) Who has opted for payment of tax under sub-section (2) of section 3 or section 5 or under a notification issued under sub section (3) of section 8 of the Act; or
- (ii) Whose annual tax liability [(output tax + purchase + tax reverse tax) including liability under Central Sales Tax Act 1956] was rupees Twenty thousand or less in the immediately preceding year. however, where a dealer files return electronically along with the requisite documents or submits the same in the soft copy to the Department and informs his assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, his intention to file monthly returns, he may file monthly returns twenty days of the end of the month.

Explanation : Quarter means the period of three months ending on 30th june, 30th September, 31st March and month shall mean calendar month.

*[(1A)] Every dealer other than those who,-

- (i) has opted for quarterly assessment under sub-section 23 of the Act; or
- (ii) has opted for payment of tax under sub-section (2) of section 3 or section 5 or under a notification issued under sub-section (3) of section 8 of the Act; or
- (iii) has filed audit report under sub section (1) of section 73 of the Act, shall file, within nine month from the end of the relevant financial year an annual return in form VAT-10A

shall file, within nine months from the end of the relevant financial year, an annual return in form VAT-10A.} (2) The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act, shall be submitted by a dealer who has opted for payment of tax under sub-section (2) of section 3 or section 5 or under a notification issued under sub-section (3) of section 8 of the Act}, in Form VAT-11, for the year within ninety days of the end of the year and shall be accompanied with treasury receipt(s)/bank challan(s) of authorized bank as a proof of deposit of tax under section 20 of the Act and shall be signed and verified by the dealer himself or his business manager. (3) The return required to be filed under sub-rule (1) by a registered dealer shall accompany (a) treasury receipt(s)/bank challan(s) of authorized bank as a proof of deposit of tax;

(b) statement of purchases in Form VAT-07A; and

(c) statement of sales in Form VAT-8A,

and shall be signed and verified by the dealer himself or his business manager. If any of the above is not enclosed with the return, it shall be deemed to be a case of non-filing of return.}

(3-A) Every dealer other than those who,-

- (i) has filed audit report under sub-section (1) of section 73 of the Act; or
- (ii) has filed annual return in form VAT 10A

Shall submit, the trading account and in case of manufacturer, trading and manufacturing account and the profit and loss account, within nine months of the end of the year.

(4) The dealer shall file the return to his assessing authority or in the Taxpayers Service Office in whose area of operation, his principal place of business is situated, personally or through registered post.

(5) Where a dealer has more than one place of business, he shall include in the return, the turnover of the principal place of business as well as the turnover of all other places of business and shall file such return in accordance with sub-rule (4).

(6) Where a dealer discovers any omission or error in any return, other than annual return furnished by him, he may furnish revised return at any time prior to the due date of filing immediately succeeding return or receipt of the notice under sub-section (1) of section 24, whichever is earlier. However, where a dealer has not opted for quarterly assessment under sub-section (2) of section 23, he may furnish such revised return prior to the furnishing of the annual return in Form VAT-10A or receipt of the notice under sub-section (1) of section 24, whichever is earlier.}

(7) Notwithstanding anything contained in this rule, any dealer or class of dealers as may be specified by the Commissioner, shall file the return referred to in sub-rule (1) of section 21 of the Act, electronically in the manner as provided in rule 19A of the said rules.} by Rajasthan Value Added (Amendment) Rules, 2011 (S.no. 2746 dated 09-03-2011) w.e.f 01-04-2011

Subs. For "1A The return referred to in sub-section 21 of the Act, shall be submitted by a dealer, who has not opted for payment of tax under sub section (2) of section 3 or section 5, or under a notification issued sub-section (3) of section 8 of the Act, 1B [or whose net annual tax liability was less than rupees twenty thousand in the immediately preceding year,] in form VAT-10 for each quarter within thirty days of the end of the quarter. However where a dealer files return electronically along with the authority or the officer authorised by the Commissioner his intention to file monthly return he may file monthly return within twenty days of the end of the month.

Explanation :- Quarter means the period of three months ending on 30th June, 30th September, 31st December and 31st March and month shall mean calendar month by Rajasthan Value Added Tax (Third Amendment) Rules 2010 dated 30-06-2010 (S.no. 2644)

1A- Subs. For "1A The return referred to in sub-section 21 of the Act, shall be submitted by a dealer, who has not opted for payment of tax under sub section (2) of section 3 or section 5 of the Act in form VAT-10 for each within thirty days of the end of the quarter.

Explanation Quarter mean the period of three months ending on 30th June, 30th September, 31st December and 31st March and month shall mean calendar month by Rajasthan Value Added Tax (Third Amendment) Rules 2005 dated 25-02-2008

1B ins. By Rajasthan Value added tax (Second Amendment) Rules 2010 w.e.f 09-03-2010 (S.no. 2601)

2. Subs for "2A [(1A) Every dealer other than those who has opted for quarterly assessment under sub-section (2) of section 23 shall file, within nine months from the end of the relevant financial year, an annual return in form VAT-10A" by Rajasthan Value Added Tax (Second Amendment) rules 2010 w.e.f. 09-03-2010 (S.No. 2601)]

2A. Ins by the Rajasthan Value added Tax (Nineth Amendment) Rules, 2008 w.e.f 12.09.2008 (S.No. 2439)

(3) Where the amount of tax, interest or late fee, if any, is not paid electronically, the dealer shall furnish the copy of e-challan], receipt in Form VAT-38 or certificate of tax deduction at

2A. Ins by the Rajasthan Value Added Tax (Nineth Amendment) Rules, 2008 w.e.f. 12.09.2008 (S.No. 2439)

lv

3. Subs. for "or section 5 of the Act" by the Rajasthan Value Added Tax (Amendment) Rules, 2008 dated 25.02.2008.

4. Subs. for "(3) The return required to be filed, under sub-rule (1) , by a registered dealer shall accompany. (a) treasury receipt(s) bank challan(s) of authorized bank as a proof of deposit of tax;

(b) declaration forms/certificates/forms required under the rules of the notification issued by the State Government.

(c) statement of purchase against VAT Invoices in Form VAT-07;

(d) copy of statement of import in Form VAT-48,

(e) statement of sales to registered dealers, other than those who exercise option under sub-section (2) of section 3, or under section 5 or sub-section (3) of section 8, in part I of Form VAT-08;]

(f) statement of inter State sales in Form VAT 50;

(g) copy of sales return register in Form VAT 12, if applicable,

(h) proff of export as specified in rule 28, if applicable; and

(i) account of declaration forms along with details of use, and shall be signed and verified by the dealer himself or his business manager. If any of the above requirements [except the requirement as mentioned in clause(h)] are not met with, it shall be deemed to be a case of non-filing of return. "by Rajasthan Value Added Tax (second Amendment) Rules, 2010 w.e.f. 9.3.2010 (S.No. 2601)"

4A. Subs. for "(e) statement of sales to registered dealers, other than those who exercise option under sub-section (2) of section 3 or under section 5, in Form VAT-09; by the Rajasthan Vaule Added Tax (Amendment) Rules, 2008 date 25.02.2008."

5. Subs for [(3-A) The dealer shall also submit;

(i) the trading account and in case of manufacturer, trading and manufacturing account and

(ii) the profit and loss accounts, within nine months of the close of the year by Rajasthan Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2010 w.e.f. 9.3.2010 (S.No. 2601)

5A Ins. by the Rajasthan Vaule Added Tax (Amendment) Rules, 2007 w.e.f. 9.3.2007 and subs for "The dealer shall also submit (i) the trading accont and in case of manufacturer, trading and manufacturing account, with the fourth quarterly return of the annual return, as the case may be, (ii) the profit and loss account within nine months of the close of the year in case of delaer registered under the companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) and within six months in case of other dealers. by the Rajasthan Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2007 w.e.f. 3.5.2007"

8. राज्य सरकार ने नियम-2005 के नियम 19 में दिनांक 09.03.2011 को संशोधन कर निम्न प्रावधान किये गये हैं

"19(1) Returns – (1) The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act shall be submitted by a dealer in Form VAT 10, VAT 10A and VAT 11 as the case may be.

(2) Every dealer shall submit return electronically through the official web site of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the acknowledgement generated through Official web-site of the Department and shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, within fifteen days of the last date for filing of such return(s), failure to do so shall be deemed to tbe a case of non filing of returns(s)"

तथा उपनियम (9) में निम्नानुसार प्रावधित किया गया है :-

“Notwithstanding any thing contained in sub-rule(1) to (7) the return (s) for the period prior to 01-04-2011 may be submitted in such manner and in such form which was in force for that period.”

9. उपरोक्त सतत एवं शीघ्र संशोधनों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि संशोधन दिनांक 01.04.2011 से पूर्व में वैट-11 की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऐच्छिक थी, परन्तु दिनांक 01.04.2011 के पश्चात अनिवार्य कर दी गई। साथ ही दिनांक 01.04.2011 के संशोधन के पश्चात नियम 19(9) के अनुसार यह स्पष्ट रूप से संशोधन कर प्रावधान कर दिया गया था कि नियम 19(1) से (7) में कुछ भी कहा गया हो, परन्तु दिनांक 01.04.2011 से पूर्व के विवरण प्रथम तत्समय अर्थात् दिनांक 01.04.2011 से पूर्व में प्रवृत्त प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किये जा सकेंगे। अतः संशोधित नियम से स्पष्ट परिलक्षित है कि वैट 10A की ई-फाइलिंग, उक्त संशोधित नियम के प्रभावशील होने की तिथि 01.04.2011 से लागू होगी परन्तु इसे पूर्व के प्रकरणों में पूर्ववत् प्रवृत्त नियमानुसार ही प्रस्तुतीकरण किया जा सकेगा। अर्थात् दिनांक 09.03.2011 को प्रभावित किये गये नियम, जिनके तहत वैट 10A के ई-फाइलिंग की अनिवार्यता है, दिनांक 01.04.2011 से पूर्व के प्रकरणों में लागू नहीं होगी।

10. वर्ष 2010-11 के वार्षिक विवरण पत्र वैट 10A के संबंध में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना निम्न प्रकार है :-

“In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 21 of the Rajasthan Value Added Tax, 2003 (Act No. 4 of 2003) , 1, Khemraj Commissioner, Commercial Taxes Rajasthan Jaipur, being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby. extend the date of submission of annual return in Form VAT-10A, or Form VAT 11, for the year 2010-11 up to 31st May, 2012.”

चूंकि व्यवहारी अपीलार्थी ने उक्त प्रावधानुसार विवरणियां अतिविलम्ब से प्रस्तुत की हैं। अतः 01.04.2011 को पुर्नस्थापित नियम 19A जिसकी स्थिति निम्न प्रकार से है

19A - The existing rule 19A of the said rules, shall be substituted by the following namely -

“19A Late Fee - Where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of -

- (i) Rupees one hundred per day for a period of first fifteen days and rupees five hundred per day thereafter, subject to a maximum of rupees fifty thousand or thirty percent of the tax assessed whichever is lower, in case he is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act, and
- (ii) Rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand in all other cases.”

उपरोक्त नियम एवं प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2010-11 हेतु नियम 19(1)(II) के अनुसार वार्षिक कर देयता (गत वर्ष के अनुसार) निर्गत कर + क्रय कर + प्रत्यावर्ती कर मय केन्द्रीय कर 20,000/- रुपये से अधिक होने के कारण अपीलार्थी का विवरणियां प्रस्तुत करने का दायित्व त्रैमासिक था, जो आयुक्त वाणिज्यिक कर राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिनांक 30.04.2012 तक प्रस्तुत की जा सकती थी परन्तु उनके द्वारा दिनांक 20.12.2012 को प्रस्तुत

लगातार.....7

की गई है परन्तु उसका कर जमा कराने का दायित्व मासिक नहीं था, जैसा कि गत वर्ष के वैट 10ए के अवलोकन से स्पष्ट है अतः इस पर विलम्ब शुल्क का दायित्व 19ए(II) के अनुरूप प्रति त्रैमासिक विवरणी के विलम्ब हेतु 5,000/- रुपये का आरोपण सर्वथा उचित एवं विधिनुकूल है। चूंकि विलम्ब शुल्क अधिनियम की धारा 58 को समाप्त कर नियम 19A के तहत शुल्क विहित किया गया है विलम्ब हेतु विवरणियों पर स्वतः ही अपीलार्थी की स्वयं शुल्क जमा कराने की जिम्मेदारी विहित की गई है जब अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा नहीं करवाया गया है तब शुल्क का आरोपण विधिनुकूल है। इसके लिये अपीलार्थी को नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

विलम्ब शुल्क के अभिनिर्धारण बाबत धारा 21 में संशोधन एवं 19ए जोड़े जाने तथा धारा 58 विलोपित किए जाने के दौरान विधायिका की मंशा व उद्देश्य निम्न प्रकार उल्लेखित किया :-


"The State Government is committed to facilitate the trade and industry by providing transparent and efficient tax administration. Because of penal provision for late filing of return, notices are issued to the dealers for imposition of penalty. In order to avoid the issuance of such notices, provision for late fee on furnishing of return after the prescribed time period is proposed to be made. Accordingly, amendment has been proposed in sub-section (1) of section 21 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and section 58 of the aforesaid Act is proposed to be deleted."

विधिक प्रावधान बनाए जाने का हेतु, उनके उद्देश्य के अनुरूप ही पालना की जाना अपेक्षित है। विधिक प्रावधानों की अवहेलना करने वालों को प्रोत्साहन देना किसी भी विधि का उद्देश्य नहीं है। इस संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह निर्णित किया गया है कि विधिक प्रावधानों में प्रयुक्त शब्दों को पूर्ण प्रभावी तरीके से लागू किया जावे, साथ ही विधिक प्रावधानों में प्रयुक्त शब्दों का उपयोग उसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए वे बनाए गए हैं।

जहां तक इकाई के रूग्ण होने का प्रश्न है विलम्ब शुल्क आरोपण में अपीलार्थी की कोई मदद नहीं करता है। इसी प्रकार केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन अपेक्षित वार्षिक विवरण पत्र 15.01.2013 को प्रस्तुत किया गया जबकि आयुक्त वाणिज्यिक कर की अधिसूचना दिनांक 21.201.2013 के अनुरूप 31.05.2012 तक प्रस्तुत किया जा सकता था। अतः इस हेतु आरोपित विलम्ब शुल्क राशि नियम 19ए(II) के तहत 5000/- रुपये आरोपित की गई है एवं इसको अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्ट किया गया है में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

12. निर्णय सुनाया गया।


27.9.2014
(मदन लाल)
सदस्य